उत्तराखण्ड पावर कारपोरेश लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक : 01/10/2022

कार्यालय—ज्ञापन

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड शासन के दिशा—निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 84 दिनांक 16.02.2021 द्वारा राज्य में प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम के कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा भी कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, बिक्री, भण्डारण को दिनांक 01.07.2022 से सम्पूर्ण देश में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इन अधिसूचनाओं के द्वारा प्रतिबन्धित 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की सूची संलग्न तालिका—1 पर दृष्टव्य है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं और अभियान की समीक्षा हेतु भारत सरकार के स्तर पर नेशनल टॉस्क फोर्स, राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय टॉस्क फोर्स गठित किए गए हैं। तदक्रम में सर्वसम्बन्धितों के द्वारा अधिसूचनाओं का प्रभावी अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रतिबन्धित उत्पादों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को भी चिन्हित किया गया है जिनके उत्पादन एवं उपयोग को वर्तमान में प्रतिबन्धित तो नहीं किया गया है, किन्तु इनके उपयोग को यथासंभव हतोत्साहित किया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। ऐसे चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की सूची संलग्न तालिका—2 पर दृष्टव्य है। इन चिन्हित 09 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को हतोत्साहित किए जाने हेतु यह निर्देश दिए जाते हैं कि समस्त उपाकालि कार्यालयों में इन चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग अक्टूबर, 2022 से न किया जाये और इस बीच ऐसे उत्पादों के स्थान पर यथासंभव वैकल्पिक उत्पादों/सामग्रियों (यथा पानी की प्लास्टिक बोतल के स्थान पर कार्यालयों में वाटर डिस्पेंसर की संस्थापना आदि) की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

अतः राज्य में प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम के कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादान एवं उपयोग को हतोत्साहित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त विभाग/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(ई0 डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांक :— 4041—निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II) ,उपाकालि, ... ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि, ... ।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ... ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ... ।
8. संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(ई0 डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)